न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 34/2019

उनवान

कंचरू पिता धुलिया जाति भील निवासी बेडवा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

–: प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136– भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः०५.०१.2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी गांव बेडवा का निवासी होकर गांव बेडवा की सर्वे नम्बर 1264 की भूमि सवंत 2038–39 में भूमि दर्ज रेकार्ड थी। प्रार्थी की उक्त भूमि के संटलमेंन्ट के दौरान् नये सर्वे नम्बर 2329 रकवा 0.05 हे0 (वर्तमान सर्वे नम्बर 2459/2630), सर्वे नम्बर 1782 रकवा 0.04 हे0 (वर्तमान सर्वे नम्बर 2669/2833), सर्वे नम्बर 1773 रकबा 0.02 हे0 कुल किता तीन रकवा 0.11 हे0 बने। प्रार्थी के खातें में प्रार्थी के अलावा उसके भाई गलापा का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज था जो लाओलाद फोत होने से प्रार्थी उपरोक्त भूमि का एक मात्र खातेदार स्वामी हो गया। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि को कभी भी आबादी रूपान्तरित नही करवाई है परन्तु प्रार्थी की भूमि में सर्वे नम्बर 1773 रकबा 0.02 हे0 भूमि सड़क में जाने के बाद शेष सर्वे नम्बर 2459/2630 एंव सर्वे नम्बर 2669/2833 का रकबा 0.09 हे0 भूमि कृषि दर्ज होने की जगह सेटलमेंन्ट में आबादी दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी की भूमि किस्म–कृषि होना आवश्यक है। प्रार्थी के स्वामित्व की उक्त भूमि के आबादी दर्ज हो जाने से प्रार्थी को राजकीय लाभ प्राप्त नही हो रहें है। जिस वजह से राजकीय त्रुटी दुरस्त कर उक्त किस्म कृषि किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की उक्त सर्वे नम्बर 2459 रकवा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 2669/2833 रकबा 0.04 हे0 भूमि की किस्म कृषि दर्ज की जाने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार के नाम सम्मन जारी किंये जाने पर अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से जवाब प्रस्तुत होकर कथन किया गया कि ग्राम बेडवा की जमाबन्दी चौसाला वष 2075–78 की खाता संख्या 47 किता 5 रकबा 0.26 हे0 भूमि खातेदार कचरू पिता धुलिया जाति भील निवासी बेडवा के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है, में सर्वे नम्बर 2459/2630 रकवा 0.05 हे0 किस्म आबादी व सर्वे नम्बर 2669/2833 रकवा 0.03 हे0 किस्म आबादी भूमि खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर निम्नानुसार विश्लेषण किया गयाः–

1. यह सही है कि ग्राम बेडवा के सर्वे नम्बर 1264 रकबा 11 विस्वा भूमि वादी की खातेदारी है।
2. यह सही है कि उपरोक्त सर्वे नम्बर का सेटलमेंन्ट से नये सर्वे नम्बर निम्नानुसार नये सर्वे नम्बर बने हैः–

प्रथम सेटलमेंन्ट		कडाना सेटलमेंन्ट		वर्तमान	
सर्वे नम्बर	रकबा	सर्वे नम्बर	रकबा	सर्वे नम्बर	रकबा
1264	11 विस्वा	[illegible]	[illegible]	[illegible]/2630	0.05 हे0
		1782	[illegible]	2669/2833	0.03 हे0
		[illegible]	[illegible]	रास्तें में आया	

3. यह सही है कि उक्त सम्पू[illegible] जमाबन्दी वर्ष 2075–78 खाता संख्या 47 कि[illegible] 0.26 रू0 दर्ज रेकार्ड [illegible]
4. यह सही हैं कि सर्वे नम्बर 2459/2630 रकवा 0[illegible] हे0, सर्वे नम्बर 2669/[illegible] रकबा 0.03 हे0 भूमि की किस्म आबादी सेटलमेंन्ट मे[illegible] गई है।

इसी अनुरूप भूमिधारी तहसीलदार ने कथन किया कि सर्वे नम्बर 2459/2630 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 2669/2833 रकवा 0.03 हे0 कुल किता दो रकबा 0.08 हे0 भूमि खातेदारी में व सर्वे नम्बर 1773 रकवा 2 विस्वा भूमि रास्तें में दर्ज की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.01.29 12:44:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सेहवन से कचरू पिता धुलिया की भूमि 9 बिस्वा किस्म आबादी दर्ज हो चुका है। श्री कचरू द्वारा अपनी भूमि संपरिवर्तन नही करवाने के कारण उक्त भूमि स्वंय के खातेदारी सर्वे नम्बर 2669/2833 एंव सर्वे नम्बर 2459/2630 रकबा 0.08 हे0 भूमि खाता संख्या 47 में वर्तमान रेकार्ड में दर्ज है।

प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने एंव प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, तुलनात्मक पत्रक, नक्षा संवत 2030, खसरा नकल सवंत 2038, खाता संख्या 58 की जमाबन्दी संवत 2030, तथा अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाव/राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन नही करवाया जाने के उपरान्त भी किस्म आबादी दर्ज कर लिया गया है।

अतः प्रार्थी कचरू पिता धुलिया के पटवार हल्का बेडवा के मौजा बेडवा की खाता संख्या 47 (नई) 48 (पुरानी) में दर्ज सर्वे नम्बर 2459 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 2669/2833 रकबा 0.03 हे0 कुल किता दो रकबा 0.08 हे0 भूमि की किस्म–आबादी के स्थान पर पूर्ववर्ती किस्म दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.01.29 12:44:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner